न्यायालय, श्री रोहित, अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, शाहपुर पटोरी

नालसी वाद संख्या–02 / 2026
संदीप कुमार बनाम गौरव पोद्दार व अन्य

दिनांक	आदेश	टिप्पणी
29-07-26	वाद का पुकार किया गया तथा अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभिलेख आज आदेश के लिए प्रस्तुत किया गया। यह नालसी वाद परिवादी संदीप कुमार के द्वारा 1. गौरव पोद्दार 2. रामलाल पोद्दार के विरूद्ध धारा– 308(2), 352, 351(2), (3) of BNS u/s 67 IT Act. के अंतर्गत लाया गया। प्रस्तुत नालसी वाद में कथन किया गया है कि रामलाल पोद्दार परिवादी के प्रतिष्ठान में 2020 में कार्यरत हुये। करोना काल में परिवादी ने इन्हें आर्थिक रूप से मदद के लिए एक लाख रूपया दिया मगर लॉकडॉउन खत्म होते ही रामलाल पोद्दार परिवादी के यहां काम करना बंद कर दिये और अपना दुकान खोल लिये। इसके बाद गौरव पोददार अक्सर परिवादी के दुकान पर आकर परिवादी को गाली गलौज करके और कर्मचारी और ग्राहक के सामने प्रतिष्ठा धुमिल करने कि कोशिश करते थे। दिनांक 14–06–2025 को करीब 3 बजे दिन में फेसबुक पर परिवादी का फोटो लगाकर परिवादी और उनके प्रतिष्ठान के बारे में गाली गलौज किये जिससे परिवादी मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो गये । परिवादी ने मो0 नगर थाना में एक आवेदन दिया जिसके आधार पर मो0 नगर थाना कांड सं0–124 / 25 दर्ज हुआ। कांड दर्ज होने के बाद पुनः अभियुक्तगण परिवादी को जान मारने कि धमकी देते रहे और परिवादी के प्रतिष्ठान पर आकर गाली गलौज करते रहे। दिनांक 24–11–25 को फेसबुक के माध्यम से गौरव पोद्दार ने परिवादी को गाली दिया । पुनः परिवादी ने इस घटना का आवेदन मो0 नगर थानाध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर को दिया। कई बार पंचायत भी बैठाया गया जिसमें पंचो के सामने अभियुक्त ने परिवादी के साथ गाली गलौज किया और धमकी दिया कि इस तरह के घटना वो फिर से करेगे। परिवादी का 20–02–2026 को शपथ पर बयान लिया गया जिसमें उन्होने घटना का समर्थन किया और साथ ही यह भी बताया कि 14.06.2025 कि घटना का थाना में केस दर्ज हुआ है। परिवादी द्वारा यह भी बताया गया कि उन्होने हाईकोर्ट में एक करोड का मानहानी का केस किया । परिवादी द्वारा दो जॉच साक्षी प्रस्तुत किये गये। जॉच साक्षी क्रमांक 01 ने अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के साथ गाली गलौज करने कि बात बताई और फेसबुक पर परिवादी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने कि बात बताई है। जॉच साक्षी क्रमांक 02 ने गौरव कुमार द्वारा परिवादी के दुकान पर आकर गाली देने कि बात बताई है मगर इनके द्वारा फेसबुक पर परिवादी को गाली देने कि बात नहीं बताई गई है। प्रस्तावित अभियुक्तों को धारा–223 BNS के तहत दिनांक 20.05.2026 को नोटिस भेजा गया जिसके उपरांत वे न्यायालय में उपस्थित हुये तथा अपना पक्ष रखा। उनकी ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि परिवादी पहले मो0 नगर थाना कांड सं0–124 / 25 अभियुक्तगण के खिलाफ दर्ज करवाये	
लगातार.....		

लगातार....	थे परंतु अनुसंधान में पुलिस द्वारा आरोप को असत्य पाया गया। पुनः उसी मुद्दे पर परिवादी ने न्यायालय में यह परिवाद पत्र दाखिल किया। परिवादी ने यह बात छुपाया है कि गौरव पोद्दार मानसिक रूप से अस्वस्थ है जिसका ईलाज रामलाल पोद्दार ने कई चिकित्सक से करवाया है और अभी भी ईलाज चल रहा है। रामलाल पोद्दार परिवादी के दुकान पर काम करते थे। परिवादी ने लगभग छह महीने रामलाल पोद्दार को वेतन नहीं दिया। इसी बात पर दोनो में मतभेद हुआ तथा रामलाल पोद्दार ने परिवादी के यहां काम करना छोड दिया। परिवादी द्वारा दायर किया गया यह मुकदमा बेबुनियाद और झूठा है। अतः इस परिवाद पत्र को खारिज किया जाय। दोनो पक्षों को सुना। परिवादी द्वारा स्वयं भी बताया गया है कि 14.06.2025 कि घटना का मो0 नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। परिवादी ने दूसरी घटना 24.11.2025 का बताया है। परिवादी यह आरोप लगाया है कि उनके बारे में फेसबुक पर अनाप–शनाप पोस्ट डाला गया मगर परिवादी द्वारा किसी भी पोस्ट का स्क्रीन शॉट या किसी भी प्रकार कि प्रति नहीं दि गई। 14.06.2025 कि घटना का प्राथमिकी दर्ज हो चुका है और 24.11.2025 के घटना का पूर्ण रूप से समर्थन होना नहीं पाया गया । **उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि इस नालसी वाद में आगे बढ़ने हेतु पर्याप्त तथ्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में इस नालसी वाद को 226 बी.एन.एस.एस के अंतर्गत खारिज किया जाता है।** कार्यालय लिपिक को आदेश दिया जाता है कि इस अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित एस0डी0जे0एम 29.07.26	

Date of Order	29.07.26
Date of reserving order	Nil
Uploading date	
Uploaded by	